



2026:AHC:56834

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1739/2026

जगत सिंह चौहान और 3 अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : रिशु भारतीय, शशांक कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आचार्य राजेश त्रिपाठी को सुना गया।
2. कार्यालय की आख्या के अनुसार, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उक्त प्रतिवादी की ओर से अपील का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत, अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.07.2024 को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), आगरा द्वारा आरोपपत्र दिनांक 10.10.2023 आरोपपत्र संख्या 306/2023 के आधार पर, जो सत्र वाद (सत्र परीक्षण) संख्या 1303/2024 (राज्य बनाम जगत सिंह चौहान एवं अन्य), मुकदमा अपराध 242/2023 से उत्पन्न, थाना मलपुरा, जनपद आगरा में पंजीकृत है, के अंतर्गत पारित आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश को निरस्त किया जाए, तथा उससे संबंधित समस्त आपराधिक कार्यवाही को भी निरस्त किया जाए। उक्त वाद भा.दं.सं. की धाराओं 342, 354ए, 506 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वीए) से संबंधित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा झूठा फँसाया गया है, क्योंकि अपीलकर्ता संख्या-1 ने उसके विरुद्ध उसके बैग से ₹25,000/- चोरी करने की शिकायत दिनांक 30.03.2023 को संबंधित थाना में दर्ज कराई थी। जब प्रतिवादी को उक्त शिकायत की जानकारी हुई, तब उसने प्रतिशोध स्वरूप यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने उसे चोरी के मामले में फँसाने की धमकी दी। उसने अपीलकर्ता संख्या-1, जिसकी आयु लगभग 74 वर्ष है, के विरुद्ध छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। अपीलकर्ता संख्या-1 एक सेवानिवृत्त सेना कर्मी है तथा प्रतिवादी पिछले दस वर्षों से उसके घर में नौकरानी के रूप में कार्यरत थी। उसे अपीलकर्ताओं द्वारा हर प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती थी और उनके बीच ऐसा कोई विवाद नहीं था। यह विवाद तभी उत्पन्न हुआ जब उसने धन चोरी किया। इसके पश्चात उसने प्रतिशोध में यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई। आगे यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने संज्ञान लेते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। आरोपपत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता संख्या-1 के अतिरिक्त अन्य अपीलकर्ताओं के विरुद्ध केवल धारा 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु न्यायालय ने सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 342, 354ए, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान ले लिया। अतः यह आदेश विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है और निरस्त किया जाना चाहिए।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता ने विवेचना के दौरान अभियोजन के संस्करण का समर्थन किया है। अपीलकर्ताओं द्वारा यह दावा कि उन्हें झूठा फँसाया गया है, क्योंकि अपीलकर्ता संख्या-1 ने पहले चोरी की शिकायत की थी, एक विवादित तथ्य है, जिसका निर्णय विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। अतः संज्ञान लेने के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा संपूर्ण अभिलेख, जिसमें केस डायरी भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।



7. अपीलकर्ता संख्या-1 द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध चोरी की शिकायत प्रस्तुत किए जाने के लगभग चार माह पश्चात एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना एक तथ्य है। ऐसे विवादित तथ्यों का निर्णय संज्ञान लेने के चरण पर नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे विवेचना के दौरान सामने न आए हों। केस डायरी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायत को विवेचक ने विवेचना के दौरान विचार में लिया हो। जहाँ तक सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं में संज्ञान लेने का प्रश्न है, उसे आरोप निर्धारण के समय, यदि अभी तक आरोप निर्धारित नहीं हुए हैं, सुधारा जा सकता है। अतः इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं प्रतीत होती।

8. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **निरस्त** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

19 मार्च, 2026

एस. के.